

भाग एक: खण्ड चार

आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन मामों की स्थापना नियम, 1977

(मध्यदेश शासन की अधिसूचना म.र. राजपऽ भाग 4 (ग))

दिनांक 4 फरवरी, 1977 पृष्ठ 23 पर लूकाशत)

मध्यदेश वन माम नियम

1. यह नियम भारतीय वन अधिनियम 1927 द्वारा मध्यदेश राज्य में वन भूमि पर स्थापित वन मामों में लागू होंगे। ये नियम “मध्य देश वन माम नियम” कहलावेंगे।
2. ये नियम भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन आरक्षित वन के रूप में घोषित समस्त भूमि तथा धारा 29 के अधीन संरक्षित वन के रूप में घोषित समस्त भूमि पर लागू होंगे और ऐसे दिनांक से प्रभावशील होंगे जैसे कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जावे।
3. सभी विद्यमान वन मामों को इन नियमों के अधिसूचित किये जाने के दिनांक से नियमों के अधीन वन माम माना जायेगा। किसी भी नये वन माम की स्थापना के लिये सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी, अपनी सिफारिश वन संरक्षक को भेजेंगे।
4. वन संरक्षक तथा अन्य वन अधिकारी, वन मामों की स्थापना के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय न केवल किसी विशिष्ट क्षेत्र में वन कायों के लिये भूमिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखेंगे, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे मामों में बसने वाले व्यक्तियों को कृषि और/या सहायक व्यवसायों के माध्यम से उनको आजीविका उपार्जन के लिये पर्याप्त सुविधायें प्राप्त हों।
5. नये मामों की स्थापना का प्रस्ताव करते समय वन मण्डलाधिकारी एक योजना तैयार करेंगे, जिसमें प्रस्तावित वन माम का आकार, आदवासियों की संख्या, बसने के लिये आवश्यक भूमि, विस्तार तथा समुदायिक योजनाओं के लिये आवश्यक भूमि तथा माम के विस्तार की आवश्यकताओं का भी ध्यान में रखा जावेगा। वन संरक्षक भी अपना अनुमोदन देते समय इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे।
6. (क) आदवासियों को प्रति परिवार 2.5 हेक्टेयर के हिस्से से भूमि आवंटित की जावेगी। ऐसे संयुक्त परिवार को, जिसमें एक से अधिक वयस्क सदस्य हों, 2.5 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि आवंटित की जावेगी।
(ख) भूमि केवल ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की जायेगी, जो उस क्षेत्र के मूल निवासी हों और जो वांछित कार्य करते हों। आवंटन में उस क्षेत्र की अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सार्वधिक प्राथमिकता दी जावेगी।
7. भूमि इन नियमों से संलग्न फार्म (अ) में एक पट्टा विवेक पर प्रदान की जावेगी। पट्टा प्रारम्भ में 15 वर्षों की अवधि के लिये होगा लेकिन उसका नवीनीकरण ऐसी शर्तों पर किया जावेगा जो कि निश्चित की जावे।
8. पट्टे की किसी शर्त; या इन नियमों को भंग करने पर, ऐसा कोई अधिकारी, जो वन संरक्षक से कम ओहदे का न हो, पट्टा रद्द कर सकेगा किन्तु सम्बन्धित वन माम के पट्टाधारी को कारण बताने का अवसर देने के उपरान्त ही ऐसा आदेश दिया जावेगा। वन माम में बसने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसका पट्टा वन संरक्षक द्वारा रद्द कर दिया गया हो, वन संरक्षक के आदेश के विरुद्ध मुख्य वन संरक्षक को अपील कर सकेगा। जिसका निर्णय अन्तिम तथा बंधनकारी होगा।
9. नियम 7 में दी गई शर्तों को छोड़, आदवासी को उसे आवंटित भूमि पर पट्टे जारी रहने के दौरान मुक्त अधिकार होगा, तथापि वह कृषि के सुधार के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु अपनी भूमि किसी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी संस्था या इस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्था के पास बंधक रख सकेगा।
10. जो अनुसूचित बैंक, सरकारी संस्था, जो वन मामों के आदवासी को इन नियमों के अनुसार कोई ऋण दे, वह ऋण की वसूली के लिये आवंटित भूमि कुर्कर करने की हकदार होगी तथापि वह बैंक या संस्था, वन मण्डलाधिकारी को, कुर्की और उन उपायों के सम्बन्ध में जो वह ऋण की वसूली के लिये अपनाना चाहती है, की सूचना देगी। संस्था ऐसी देय राशियों की वसूली के लिये भूमि को नीलाम भी कर सकती है, तथापि ऐसी भूमि आदवासी की ज़िम्मेदारी के ही व्यक्ति को बेची जा सकेगी। नीलामी भूमि खरीदने वाले के पक्ष में भूमि का अन्तिम अन्तरण उन्हीं शर्तों पर, जो मूल बसने वाले व्यक्ति पर लागू हो, और इन नियमों के अनुसार ही किया जावेगा। ऐसा अन्तरण वन मण्डलाधिकारी के पूर्वानुमोदन से होगा।
11. आदवासी पट्टे के अधीन अपने अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने का हकदार नहीं होगा।
12. किसी आदवासी की मृत्यु हो जाने पर, वन मण्डलाधिकारी, मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को, उसकी भूमि मूल शर्तों पर आवंटित कर सकेगा।
13. वन मण्डलाधिकारी, वन मामों के सम्बन्ध में ऐसे फार्मों में अभिलेख तैयार करने की व्यवस्था करेगा, जो इन नियमों के अधीन विहित किये जावें।

14. वन मण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासियों या उनके परिवारों के सदस्यों को, जो वन कायोर में नियोजित किये जाते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या लागू होने वाली अन्य विधि के अधीन, विहित मजदूरी का भुगतान किया जाता है। आदिवासी या उसके परिवार के किसी सदस्य को, वन कायोर में नियोजित किये जाने के लिए विवश नहीं किया जावेगा। वन व्यवसाय के लिये मजदूरों की भरती, करते समय वन मण्डलाधिकारी या उनके अधीनस्थ कमचारी, वन माम के आदिवासियों को प्राथमिकता देंगे। तथापि वन में आग लग जाने जैसी स्थिति या आपाती मामलों में वन मण्डलाधिकारी या उसके अधीनस्थ कमचारी वन माम के आदिवासी या उसके परिवार के सदस्य को वन माम के कायोर में सामान्य मजदूरी पर काम करने के लिये कह सकेंगे।

15. आदिवासी इतने पशु का हकदार होगा, जितने पशु राजःव मामों के निवासी निःतार नियमों के अधीन रख सकते हैं। वह उसी मान पर चराई शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

16. आदिवासियों को उनकी निःतार आवश्यकताओं के लिये इमारती लकड़ी तथा ईंधन की पूर्ति की जा सकेगी। उसकी माता वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी तथा वह सदैव क्षेत्र सामग्री की उपलब्धता के अधीन होगी। रायल्टी के भुगतान के सम्बन्ध में रियायत उसी आधार पर दी जावेगी। जिस आधार राजःव माम में रहने वाले कृषकों के निःतार के सम्बन्ध में दी जाती है।

17. वन मण्डलाधिकारी, प्रत्येक वन माम के लिये पटवारी का काम करने के लिए एक वन रक्षकी नियुक्ति कर सकेगा। इसी पटवारी को माम के अभिलेख रखने होंगे तथा ऐसे कतव्यों का पालन करना होगा जो वन मण्डलाधिकारी द्वारा सौंपे जावें।

18. वन माम के आदिवासी, अपने में से किसी आदिवासी को, कोटवार चुन सकेंगे। उसको वे सब कार्य करना होंगे जो उसे उसी माम के या निःकटस्थ माम के कोटवार के रूप में सौंपे जावें। उसे ऐसा पारिभाषिक दिया जावेगा, जो कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित किया जावे।

19. वन मण्डलाधिकारी, वन माम के किसी आदिवासी को, उसी माम के या निःकटस्थ माम के कोटवार के रूप में नियुक्त कर सकेगा। वह ऐसे कतव्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर विहित किया जावे।

20. पट्टे का शुल्क उसी दर से होगा जो कि निःकटस्थ राजःव माम में तुलनीय भूमि के लिये लगान हेतु निर्धारित हो। लगान के पुनरीक्षण होने पर पट्टा शुल्क का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

21. जब कलेक्टर दुर्भिक्ष की स्थिति के परिणामस्वरूप, भूराजःव के निःलम्बन, या छूट का आदेश दे तो वन संरक्षक को भी किसी वन माम में पट्टा शुल्क निःलिम्बन करने या उसमें छूट देने का अधिकार होगा। वन संरक्षक एक वर्ष में, एक वन माम में, अधिक से अधिक 200.00 (दो सौ रुपये) तक के वसूल न किये जा सकने योग्य पट्टा शुल्क को बढ़े खाते में डाल सकेगा।

22. इन नियमों के पूर्वाधीन होने के दिनांक से, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्त, इस विषय के सभी नियम रद्द हो जावेंगे। रद्द नियमों के किसी भी नियम के अधीन या अन्यथा ऐसे दिनांक के पूर्व किये गये किसी भी कार्य को इन नियमों के अधीन की गई कार्यवाही माना जावेगा।

पिरिशष्ट 'अ'

(Counterfoil)

वन माम में रहने का पट्टा

वन माम में रहने का पट्टा

पुस्तक ब..... पृष्ठ ब..... वन मण्डल पिरक्षे

..... वन माम नाम

आत्मज जाति

जाति

पट्टेदार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशाली

गवाह वनमण्डलाधिकारी

पट्टा देने की तारीख

पट्टा समाप्त होने की तारीख जारी करने वाला वन

मण्डलाधिकारी मुझे वन माम में बसने के

लिये बनाये नियम स्वीकार हैं।

पट्टेदार के

यह पट्टा निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत दिया जा रहा है -

1. यह पट्टा 15 वर्ष के लिये लागू होगा।
2. आर्बिट्रल भूमि पर पट्टेदार का पूर्ण अधिकार होगा किन्तु वह इस भूमि को बेच नहीं सकेगा।
3. पट्टेदार को इस पट्टे के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

4. पट्टेदार की मृत्यु होने पर आबंठित भूमि पट्टेदार की विधवा या उसके पुत्र को वन मण्डलाधिकारी की विवेक से एवं इन्हीं शर्तों पर हस्तान्तरित की जा सकेगी।
5. पट्टेदार को आबंठित भूमि के लिये वन संरक्षक द्वारा निर्धारित पट्टा शुल्क पटाना होगा।
6. पट्टेदार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विजर्त हो।
7. वन माम हेतु शासन द्वारा बनाये गये नियमों के उल्लंघन करने पर यह पट्टा वन संरक्षक द्वारा निरस्त किया जा सके। पट्टेदार को वन संरक्षक के आदेश के विरुद्ध मुख्य वन संरक्षक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।
8. पट्टेदार एवं उनके सदस्यों को वन कार्यों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लगाया जावेगा।
9. वन कार्यों पर, पट्टेदार एवं उनके परिवार के सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी कानून के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दी जावेगी।
10. पट्टेदार को राजस्व मामों के सट्टे ही निस्तार सुविधाओं के अन्तर्गत पशु पालने का अधिकार होगा तथा उसे समान आधार पर चराई शुल्क पटाना होगा।
11. पट्टेदार को, निस्तार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी, क्षेत्र में लागू नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो सकेगी एवं इस पूर्ति के लिए राजस्व माम के सट्टे ही मूल्य किया जावेगा।
12. कृषि सुधार कार्य के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु पट्टेदार को आबंठित भूमि अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक समित या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त ऐसी संस्था के पास गिरवी रखने का अधिकार होगा।
13. पट्टेदार द्वारा ऋण की अदायगी न किये जाने की स्थिति में बैंक में गिरवी रखी गई भूमि को कुर्कर करने का अधिकार होगा, किन्तु ऐसा करने के पूर्व इन संस्थाओं को वन मण्डलाधिकारी को सूचित करना होगा एवं यह भी बताना होगा कि ऋण की वसूली हेतु वे क्या कार्यवाही प्रस्तावित करते हैं।
14. बैंक द्वारा कुर्कर की गई भूमि ऋण वसूली के लिये नीलाम की जा सकेगी। बेता को भूमि का हस्तान्तरण उन्हीं शर्तों पर किया जावेगा जो मूल पट्टेदार के लिये लागू थीं। भूमि आदवासियों की श्रेणी के व्यक्तियों को बेची जा सकेगी।